राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

आरटीडीसी मुख्यालय का प्रथम तल (स्वागतम होटल परिसर), जयपुर, राजस्थान,

वैबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई–मेल आई.डी. : ddca@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ89( )उ.मा.वि. / टोनर रिफिल / 2020–00050 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षरित दिनांक

कोटेशन सूचना

विभाग में राजकार्यो के सम्पादन के लिए कार्यालय उपयोग हेतु विभिन्न कम्प्यूटर्स के प्रिन्टर के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार टोनर रिफिल कराये जाने एवं संबंधित अन्य उपयोगी खराब सामान (पार्ट ड्रम, पीसीआर, मैग्नेटरोल, ब्लैड, Wiper ब्लैड इत्यादि) बदलने के लिए दरें (अनुमानित वार्षिक लागत राशि रूपये 50,000 / –) निर्धारित करने हेतु कोटेशन निविदा आंमत्रित की जाती है। संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में निर्धारित दर अंकित कर कोटेशन निविदा दिनांक 22.04.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में बन्द लिफाफे में जमा करा सकते है। निविदा दिनांक 22.04.2025 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी।

(राकेश सोनी)
उप निदेशक (उ.मा.)

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
2. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
3. लेखाधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय
5. कार्यालय पत्रावली।

उप निदेशक (उ.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.04.15 16:01:10 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

आरटीडीसी मुख्यालय का प्रथम तल (स्वागतम होटल परिसर), जयपुर, राजस्थान,

वैबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई–मेल आई.डी. : ddca@rajasthan.gov.in

<u>कोटेशन की शर्ते</u>

1. सफल **<u>कोटेशन</u>** दाता फर्म को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर 500/– रूपये नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
2. सील बन्द लिफाफे पर**"<u>टोनर रिफिल हेतु निविदा</u>"**लिखा होना चाहिए।
3. निविदा शुल्क रूपये 200/– (डी.डी. क्रमांक............................ दिनांक............................)
4. कार्यालय में टोनर रिफिल आदि के कार्यों को समय पर संपादित करवाने के लिए संबधित व्यक्ति/फर्म को आवश्यकतानुसार शीघ्र बुलाये जाने पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी।
5. टोनर रिफिल की गुणवत्ता स्वच्छ एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। टोनर रिफिल के लिए कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से प्रत्येक स्थिति में उपस्थित होना अनिवार्य है तथा राजकार्यों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् अथवा राजकीय अवकाशों में भी सेवाएं देनी होगी।
6. टोनर रिफिल में गड़बड़ी होने पर (टोनर रिफिल खराब होने अथवा व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने) या अन्य कोई कारण वश टोनर नहीं चलने की स्थिति में विभाग को यदि बाजार से प्रिन्ट करवाना पड़ता है तो वह राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी तथा निविदादाता (फर्म) से पेनल्टी उसको देय भुगतान में से काट कर वसूल की जावेगी।
7. **निविदा दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मान्य होंगी।** कार्य संतोषजनक होने पर RTPP Rule-2013/सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार परस्पर सहमति से समयावधि बढ़ायी जा सकेगी।
8. टोनर रिफिल से संबंधित कार्य संपादित करने के बाद में फर्म/व्यक्ति द्वारा विभाग का कोई भी राजकीय सामान आदि कार्यालय से बाहर नहीं ले जाया जावेगा।
9. **<u>कोटेशन</u>** (फर्म)/व्यक्ति टोनर रिफिल इत्यादि का कार्य करते समय होने वाली जन–धन की हानि सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जावेगी।
10. यदि टोनर रिफिल का कार्य संतोषप्रद नहीं रहता है तो विभाग को निविदादाता (फर्म) का अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. टोनर्स के पार्ट खराब होने पर आवश्यक होने पर सूची के अनुसार (स्पेशीफिकेशन के अनुसार) बदले जायेंगें।
12. फर्म को अनुमोदित दरों पर कार्य सम्पादित करना होगा तथा उक्त आदेश की दरों के अनुसार ही बिल बनाकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
13. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
14. यदि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंधित सेवाएं स्वैच्छा से समाप्त की जाती है तो द्वितीय पक्ष को दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी।
15. प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के किसी भी भाग या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
16. अनुबंध की सभी शर्तों के संबंध में द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। अनुंबध के Execution के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण Arbirtation and Conciliation Act के तहत रैफर किया जावेगा। द्वितीय पक्ष के इसके लिए Sole arbitrator नियुक्त करने की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होगी, जिसकी नियुक्ति पर आया समस्त व्यय दोनो पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
17. दर संविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित नियमों एवं RTPP नियम के अन्तर्गत मान्य होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.04.15 16:01:10 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
आरटीडीसी मुख्यालय का प्रथम तल (स्वागतम होटल परिसर), जयपुर, राजस्थान,
वैबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई–मेल आई.डी. : ddca@rajasthan.gov.in

18. सफल कोटेशन को अनुबन्ध के साथ **05 प्रतिशत प्रर्फोमेन्श सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी**, जिसके जमा जमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
19. निविदा की किसी भी शर्ते को पूर्णतः/आंशिक संशोधन/विलोपन/प्रतिस्थापन का पूर्ण अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. कोटेशन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

उप निदेशक
उपभोक्ता मामले विभाग

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.04.15 16:01:10 IST
Reason: Approved